न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार

आई०ए०एस०

1. नामान्तरण अपील 28/2022

घूडा पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी पाखर हाल तहसील मंडावर जिला दौसा

.. अपीलांट

बनाम

1. सप्taराम पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी नंगलाजादू तहसील कठूमर जिला अलवर
2. इतबाई पत्नि जयनारायण
3. सुरेशचन्द पुत्र जयनारायण
4. रामकिशोर पुत्र जयनारायण
   समस्त जाति मीना निवासी मंडावर तहसील मंडावर जिला दौसा
5. जयकिशन पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी उकरूंद तहसील मंडावर जिला दौसा
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील मंडावर जिला दौसा(लैंड होल्डर)

... रेस्पों0

2. नामान्तरण अपील 29/2022

घूडा पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी पाखर हाल तहसील मंडावर जिला दौसा

.. अपीलांट

बनाम

1. अन्तम पुत्र ब्रजमोहन
2. आकाश पुत्र ब्रजमोहन
3. कमला पत्नि ब्रजमोहन
4. कविता पुत्री ब्रजमोहन
5. जितेन्द्र पुत्री ब्रजमोहन
6. सरिता पुत्री ब्रजमोहन
7. हेमलता पुत्री ब्रजमोहन
   समस्त जाति माली निवासी करणबास पाखर तहसील मंडावर जिला दौसा
8. जयकिशन पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी उकरूंद तहसील मंडावर जिला दौसा
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील मंडावर जिला दौसा(लैंड होल्डर)

... रेस्पों0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1343 व 1346 आदेश दिनांक 7.7.2022 ग्राम पाखर 2 द्वारा तहसीलदार मंडावर जिला दौसा

उपस्थित– 1. श्री ऋद्धि चंद शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री बजरंगलाल शर्मा अधिवक्ता रेस्पों0 1 से 4 अपील सं0 28/2022 में व अधिवक्ता [illegible] 29/2022 में
4. श्री दिनेश शांडिल्य अधिवक्ता [illegible] अपील सं0 28/2022 में व अधिवक्ता [illegible] 8 अपील सं0 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:43:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दि[illegible]7.3.2026

1. उक्त दोनों नामान्तरण अपीलों की विषयवस्तु एवं तथ्य [illegible]समान होने से उक्त [illegible] अपीलों का निस्तारण एकल निर्णय से किया जा रहा है।
2. संक्षिप्त विवरण अपीलों का इस प्रकार है कि तहसीलदार मंडावर द्वारा ग्राम पाखर–2 के पारित नामान्तरण सं0 1343 व 1346 दिनांक 7.7.2022 से व्यथित होकर यह अपीलें पेश की गई है।

जिला कलेक्टर,दौसा

3. अपीलें दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 की तलबी की गई। तहसीलदार मंडावर से मूल अभिलेख तलब किया गया।

4. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दफा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को उक्त नामान्तकरण की पूर्व में किसी प्रकार से कतई कोई जानकारी नहीं थी दिनांक 01–09–2022 को सायंकाल मौके पर जुमले रेस्पोडट आ गये व ऐलानिया कहने लगे कि यह भूमि हमने जयकिशन रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के नाम करवा दी है तथा नामान्तकरण भी खुलवा दिया है इसलिए अब अपीलांट को उक्त भूमि व रिहायश बोरिंग आदि से बेदखल करके रहेगे जिस पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय जाकर जांच कर दिनांक 02–09–2022 को प्रार्थना पत्र नकल प्रस्तुत किया एवम् दिनांक 06–09–2022 को उक्त नामान्तकरण आदेश की नकल प्राप्त हुई जिससे सर्वप्रथम जानकारी से नकल प्राप्ति से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है हालांकि उपरोक्त प्रकार के नामान्तकरण आदेश जो कि न्यायालय की डिक्री के विपरीत भरे जाकर स्वीकार किये गये है कानूनन शून्य नामान्तकरण है जिनके लिए किसी भी प्रकार कीकोई कालावधि नहीं है फिर भी रफाये हुज्जत दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है। अपीलांट की अपील उपरोक्त कारणों एवं परिस्थितियों से अन्दर मियाद शुमार फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट को उक्त नामान्तरण की पूर्व में ही जानकारी रही है। उपस्थित अधिवक्तागण की मियाद के बिन्दु पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

5. तत्पश्चात मूल अपील पर सुनवाई की गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया किभूमि आरजी खसरा नम्बर 28, 29, 37, 34, 38, 39 वाके मौजा पाखर के संबंध में अपीलांट घूडा ने एक वाद प्रस्तुत कर उपरोक्त वर्णित भूमि में अपने आपको 1/3 हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर भूमि आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 29 का मिन रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा तरफ उत्तर किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया गया व आदेश जारी किया कि इसी प्रकार खातेबन्दी कर अलग अलग लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। जिसके पश्चात 12–04–2002 को उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ को बरूये डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु एक पत्र प्रेषित किया तथा पत्र के साथ डिक्री की प्रति प्रेषित की गई परन्तु तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं की गई एवम् अपीलांट के पक्ष में उक्त डिक्री का नामान्तकरण नहीं खोला गया जिसके पश्चात दिनांक 24–12–2021 को अपीलांट ने तहसीलदार मण्डावर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व अपीलअधिकारी कैम्प अलवर का निर्णय राजीनामा स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल [illegible] अपील की कॉपी संलग्न प्रार्थना पत्र कर निवेदन किया कि आराजी खसरा [illegible] सैनी पुत्र श्रवणलाल सैनी निवासी पाखर द्वितीय के नाम दर्ज [illegible] मेरे हिस्से में आई हुई है जिसमें मुझ प्रार्थी अपीलांट द्वारा चारदीवारी की हुई है तथा कुआ बोरिंग आदि वर्ष 1991 में बनवाकर विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा कोर्ट का फैसला भी हो चुका है बृजमोहन की मृत्यु दिनांक 06–12–2021 को हो चुकी है इसलिए उक्त विरासत का नामान्तरण नहीं खोला जाकर अपीलांट के हक हकूको का हनन नहीं करे परन्तु अधिनस्थ तहसीलदार मण्डावर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न निर्णयों की प्रति को दरकिनार करते हुए व न्यायालय की डिक्री की पालना में न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी अपीलांट के नाम नामान्तकरण न खोला

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:43:37 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मण्डावर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तरण तस्दीक कर दिया जिसकी अपीलांट को जानकारी कतई नहीं हुई दिनांक 01–09–2022 को जुमले रेस्पोडेन्ट सायंकाल मौके पर आ गये व ऐलानिया कहने लगे कि यह भूमि हमने रेस्पोडेन्ट के नाम करवा दी है तथा नामान्तरण भी खुलवा दिया है इसलिए अब अपीलांट को उक्त भूमि व रिहायश बोरिंग आदि से बेदखल करके रहेगे जिस पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय जाकर जांच कर दिनांक 02–09–2022 को प्रार्थना पत्र नकल प्रस्तुत किया एवम् दिनांक 06–09–2022 को उक्त नामान्तकरण आदेश की नकल प्राप्त हुई। अधिनस्थ तहसीलदार मण्डावर का उक्त नामान्तकरण आदेश जेर अपील नियम, उपनियम एवम कानूनी प्रावधानों तथा विधि, प्रक्रिया व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। नामान्तकरण में दर्ज विवादित भूमि खसरा नम्बर 29 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नंबर 29/1 व 29/2 वाके पाखर– 2 का अपीलांट को न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के अनुसार खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया गया है तथा तत्समय ही दिनांक 12–04–2002 को उक्त निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल 20–05–2002 तक उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को भेजने के आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ को जारी किये गये थे परन्तु उक्त आदेशों की पालना नहीं की गई उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष अपील भी प्रस्तुत की गई जिसका भी निर्णय दिनांक 29–03–1994 को किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखी गई। तथा उक्त निर्णय व डिक्री आज दिन तक कहीं से भी निरस्त नहीं हुई तथा वह निर्णय व डिक्री आज भी यथावत है जिसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मण्डावर द्वारा निर्णय व डिक्री के विरूद्ध नामान्तकरण जेर अपील स्वीकार करने में कानूनी गलती की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण आदेश जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मण्डावर को अपीलांट के द्वारा दिनांक 24–12–2021 को एक प्रार्थना पत्र मय समस्त निर्णय के प्रस्तुत किया था जिसका रिसीप्ट नम्बर 1792 दिनांक 29–12–2021 है उक्त पार्थना पत्र के साथ निर्णय एवं डिक्री इत्यादि दस्तावेजात की प्रतिलिपि संलग्न होने के बावजूद भी उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध तहसीलदार मण्डावर द्वारा उक्त नामान्तकरण को स्वीकार करने के आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बाबत नामान्तकरण स्वीकार करने के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मण्डावर के समक्ष दिनांक 24–12–201 को अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय व पटवारी हल्का की जानकारी में यह तथ्य भली भांति आ चुका था कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट घूडया पीडित पक्षकार है तथा अपीलांट घूडया के पक्ष में डिक्री एवं निर्णय न्यायालय द्वारा पारित किये गये है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया एवं अपीलांट को कोई नोटिस उक्त नामान्तकरण के संबंध में जारी नहीं किया गया इस प्रकार अपीलांट की पीठ पीछे से गुपचुप तरीके से नामान्तकरण आदेश जेर अपील पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी त्रुटि की है इसलिए नामान्तकरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नामान्तकरण जिस रजिस्ट्रीकरण सं० 201200000012008 दिनांक 29–06–2012 एवं रजिस्ट्रीकरण सं0 का 20120000001327 दिनांक 25.3.2012 रजिस्ट्रीकरण है जबकि खसरा नम्बर 29/1 व 29/2 वाके पाखर – 2 की भूमि उक्त दिनांक को ना ही तो विकय करने वाले व्यक्ति की खातेदारी में थी और ना ही कब्जे में थी बल्कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 20–03–2002 से उक्त भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार अपीलांट हो गया है इस तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया व शून्य व एवीनिशियो वाइड विकय पत्र के आधार पर नामान्तकरण आदेश जेर अपील स्वीकार करने में कानूनी गलती की है इसलिए नामान्तकरण जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार मंडावर द्वारा पारित नामान्तरण सं0 1346 व 1343 दिनांक 7.7.2022 ग्राम पाखर–2 को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:43:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

6- अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 5 अपील सं0 28/2022 ने लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार खसरा सं0 29 पर रेस्पों0 सं0 1 से 5 का विधिवत रूप से कब्जा काश्त है लेकिन अपीलांट राजनैतिक प्रभाव से गलत ढंग से अपनी भू भाग बताता है जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। तहसीलदार मंडावर द्वारा जो नामान्तरण विपक्षीगण के नाम खोला गया उस समय अपीलांट को पूर्णतः जानकारी थी। इस किये वादकरण उत्पन्न होने का व समय अवधि अपील के बारे में ठोस आधार प्रस्तुत नहीं है। तहसीलदार मण्डावर द्वारा उक्त नामान्तरण जो विपक्षीगण के नाम खोला गया है वह विधिसम्मत नियम व कानूनी प्रावधानों के अनुसार विधिक प्रकिया के अनुसरण में आदेश प्रसाारित किये गये है जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिश्या गया व नोटिस भेजकर नामान्तरण के संबंध में अवगत कराया गया था। अपीलांट को उक्त नामान्तरण आदेश की पूर्ण जानकारी थी। लेकिन हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत की गई है जो प्रथम दृष्ट्या खारिज किये जाने योग्य है। रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर तहसीलदार मंडावर को नामान्तरण खोलने का अधिकार प्राप्त था। तहसीलदार मंडावर ने सभी प्रकार के कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मौका रिपोर्ट के आधार पर वैध तरीके से विधिवत रूप से नामान्तरण खोला गया है। उक्त अपील में अपीलांट के कोई ठोस आधार नहीं है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है। खसरा नंबर 29/1 व 29/2 ब्रजमोहन सैनी के खातेदारी की भूमि थी, जो पूर्वजों के हिस्से अनुसार प्राप्त हुई। ब्रजमोहन ने उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र जयनारायण मीना को विकय कर दी, जिसके पश्चात जयनारायण ने द्वारा खसरा नंबर 29/1 का रूपांतरण करवाकर जयनारायण के फौत होने के बाद सुरेश, रामकिशोर व इतबाई द्वारा खसरा नंबर 29/1 भूमि सप्ताराम मीना रेस्पों. को जरिये विकय पत्र बेचान कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का दिनांक 7.7.2002 को क0.सं0 1343 पर नामान्तरण विधिवत रूप से खोला गया जिसकी अपीलांट को पूर्ण जानकारी थी। खसरा नंबर 29/1 की जमाबंदी में अपीलांट का कोई नाम नहीं है। केवल ब्रजमोहन का ही नाम दर्ज था। ब्रजमोहन व अपीलांट घूडा के पिता अलग-2 थे व जमीन भी अलग-2 थी। ब्रजमोहन को अपनी जमीन बेचने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पों0 सप्ताराम के हक में जो नामान्तरण दिनांक 7.7.2002 को खोला गया था, तत्कालीन समय अपीलांट को नोटिस जारी कर सूचना दी गई व जमाबंदी पर इससे पूर्व किसी प्रकार का स्थगन या वाद विचारण का कोई नोट अंकित नहीं था। रेस्पों0 सप्ताराम तीसरी पायदान का सद्भावी केता है। इससे पूर्व प्रथम पक्षकार जयनारायण को उक्त भूमि का का बेचान हुआ तब अपीलांट ने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर में अपील सं0 1965/2024 उनवानी ब्रजमोहन बनाम घूडा विचाराधीन है जिसकी आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.3.2026 नियत है, जिसको अपीलांट द्वारा अपील में छुपाया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाई जावे।

7- अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 8 अपील सं0 29/2022 ने लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार रेस्पों0 सं0 1 से 7 के पिता ब्रजमोहन सैनी थे। ब्रजमोहन सैनी द्वारा अपनी कब्जे काश्त की भूमि को दिनांक 23.5.2022 को खसरा सं0 29/3 व 35 रकबा 0.11है. का संपूर्ण हिस्सा रेस्पों0 जयकिशन के हक में संपूर्ण बेचान कर दिया तथा उप पंजीयक व तहसीलदार मंडावर द्वारा विकय की रजिस्ट्री तस्दीक कर दी गई तथा [illegible] 7.7.2002 को बेचान के आधार पर रेस्पों0 सं0 8 के हक में विधिवत नामान्तरण खोला गया है। दिनांक 23.5.2012 को जब उक्त भूमि का बेचान हुआ उस समय ब्रजमोहन के [illegible] थी जिस पर किसी प्रकार का सीगिन, डिकी निर्णय का कोई नोट अंकित नहीं [illegible] ना ही उक्त भूमि की जमाबंदी पर अपीलांट का नाम अंकित था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो नामान्तरण खोला गया है वह विधि अनुसार वैध एवं प्रभावशील है। अपीलांट घूडा अलग-2 पिता की संतान है। ब्रजमोहन द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बे चान रेस्पों0 सं0 8 को किया गया है। उसी आधार पर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्टव सुनवाई का अवसर दिया जाकर नामान्तरण स्वीकार किया गया जो सही एवं वैध है। ब्रजमोहन द्वारा वर्ष 2012 में जब अपीन भूमि का बेचान किया तब अपीलांट को उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:43:37 IST
Reason: SelfAttested

बेचान की पूर्ण जानकारी थी। अपीलांट द्वारा रेस्पों0 को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत की गई है जो प्रथम दृष्ट्या खारिज किये जाने योग्य है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार मंडावर को नामान्तरण खोलने का अधिकार प्राप्त था। तहसीलदार मंडावर ने सभी प्रकार के कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मौका रिपोर्ट के आधार पर वैध तरीके से विधिवत रूप से नामान्तरण खोला गया है। उक्त अपील में अपीलांट के कोई ठोस आधार नहीं है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है। तहसीलदार मंडावर द्वारा नामान्तरण खोलने से पूर्व नियमानुसार मौका देखकर व पटवारी हल्का की रिपोर्ट व ठोस आधारों पर नामान्तरण खोला गया है जिसमें पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन कर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण आदेश दिनांक 7.7.2022 सही ह, इसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। रेस्पों0 सं0 1 से 8 का विधिवत रूप से कब्जा काश्त है। लेकिन अपील राजनैतिक प्रभाव से गलत ढंग से अपनी भू भाग बताता है जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाई जावे।

8- राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार मंडावर द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरण पूर्णतया विधि के प्रावधानों के अनुसार पारित किये गये है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

9. तहसीलदार मंडावर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार ब्रजमोहन पुत्र श्रवण जाति माली निवासी पााखर–2 द्वारा ग्राम पाखर–2 के खसरा नंबर 29/3 रकबा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 35 रकबा 01 बिस्वा संपूर्ण हिस्से का बेचान जयकिशन पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी उकरूंद को किया गया जिसका रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तहसील महवा में दिनांक 23.5.2012 को क्र0सं0 1237 पर पंजीबद्ध हुआ था तथा प्रतिवादी सप्ताराम पुत्र रामसहाय मीना निवासी नांगल जादू तहसील कठूमर जिला अलवर द्वारा तहसीदार मंडावर को दिनांक 6.6.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो कि दिनांक 29.6.2012 को क्रम सं0 2008 पर पंजीबद्ध हुआ था जिसका नामान्तरण खुलवाने हेतु आवंदन किया गया था। ब्रजमोहन पुत्र श्रवण जाति माली की दिनांक 6.12.2021 को मृत्यु होने के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तरण पटवारी हल्का पाखर–2 द्वारा ग्राम पाखर–2 के नामान्तरण सं0 1294 विरासत दिनांक 16.12.2021 को दर्ज किया गया जो कि ग्राम पंचायत पाखर–2 द्वारा दिनांक 29.1.2022 को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी सप्ताराम के उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.6.2022 को ग्राम पाखर–2 में नामान्तरण सं0 1343 बेचान का दर्ज किया गया एवं तत्कालीन भूअनि द्वारा नामान्तरण की दिनांक 28.6.2022 को जांच की गई। दिनांक 7.7.2022 को ग्राम पंचायत मुख्यालय पाखर–2 पर आयोजित पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में तत्कालीन पटवारी हल्का पाखर–2 द्वारा नामान्तरण सं0 1343 बेचान को तहसीलदार मंडावर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार मंडावर के द्वारा स्वीकृत किया गया। साथ ही ग्राम पाखर–2 के नामान्तरण सं0 1294द्वारा ब्रजमोहन पुत्र श्रवण माली की विरासत आकाश, जितेन्द्र पुत्र ब्रजमोहन, अन्तम, कविता, सरिता, हेमलता पुत्री ब्रजमोहन, कमला पत्नि स्व. ब्रजमोहन के नाम स्वीकार हुई। पटवारी हल्का पाखर–2 द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 23.5.2012 का नामान्तरण सं0 1346 बेचान का नामान्तरण दिनांक 28.6.2022 को दर्ज किया गया जिसे तहसीलदार मंडावर द्वारा दिनांक 7.7.2022 को ग्राम पंचायत मुख्यालय पाखर–2 पर आयोजित पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में स्वीकृत किया गया। ग्राम पाखर–2 में नामान्तरण सं0 1343 जो कि ग्राम पाखर–2 के आराजी खसरा [illegible] व 29/2 कुल रकबा 0.2529है. में विक्रेता इतबाई पत्नि जयनारायण हिस्सा 1/6 [illegible] किशोर पि. जयनारायण हि. 1/3 जाति मीना सा0मंडावर के बजाय क्रेता [illegible] 1/2 निवासी नंगलाजादू तहसील कठूमर के पक्ष में दर्ज किया गया था एवं नामान्तरण सं0 1346 जो कि पाखर–2 के आराजी खसरा नंबर 29/3 रकबा 0.1265 है. खसरा नंबर 35 रकबा 0.0126है. हिस्सा पूर्ण आकाश, जितेन्द्र पि. ब्रजमोहन हि.2/7, अन्तम, कविता, सरिता, हेमलता पुत्री ब्रजमोहन हि.4/7, कमला पत्नि ब्रजमोहन हि.1/7 के बजाय जयकिशन पुत्र रामस्वरूप हि. पूर्ण जाति मीना सा. उकरूंद के पक्ष में स्वीकार हुआ। उक्त नामान्तरणों को दर्ज करते समय राजस्व रिकार्ड में किसी भी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश दर्ज रिकार्ड नहीं था।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:43:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

10- हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, अपीलार्थी घूडा द्वारा प्रस्तुत अपील एवं विलंब माफी प्रार्थना पत्र, रेस्पोंडेंट्स की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस, तहसीलदार मण्डावर की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट दिनांक 03.06.2024तथा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान (अजमेर) में लंबित प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों का मेरे द्वारा भली–भांति अवलोकन व परिशीलन किया गया।

12. पत्रावली एवं तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि (ग्राम पाखर–2 के खसरा नम्बर 29/1 व 29/2) के संबंध में अपीलार्थी उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ की डिक्री के आधार पर अपने अधिकार का दावा कर रहा है जबकि रेस्पोंडेंट्स पंजीकृत विक्रय पत्र (दिनांक 29–06–2012) के आधार पर अपना अधिकार जता रहे हैं। इस भूमि के स्वत्व (Title) को लेकर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष अपील (संख्या 1965/2004/2024 – बृजमोहन बनाम घूडा) वर्तमान में विचाराधीन है, जिसमें माननीय मण्डल द्वारा क्रेता सप्ताराम (रेस्पोंडेंट) को भी पक्षकार संयोजित किया जा चुका है।

13. यह प्रमाणित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार मण्डावर) ने नामान्तरकरण तस्दीक करते समय अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (दिनांक 24.12.2021) एवं न्यायालयी डिक्री का समुचित संज्ञान नहीं लिया तथा अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर (नोटिस) दिए बिना ही पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में आक्षेपित नामान्तरकरण आदेश पारित कर दिया। चूंकि इस प्रकरण में स्वत्व का विवाद सर्वोच्च राजस्व न्यायालय (राजस्व मण्डल) में लंबित है, अतः ऐसी स्थिति में एकतरफा नामान्तरण तस्दीक किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

14. अतः इन तमाम तथ्यों, साक्ष्यों व विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार मण्डावर) द्वारा ग्राम पाखर–2 के संबंध में पारित आक्षेपित नामान्तरकरण आदेश संख्या 1343, व 1346 दिनांक 07.07.2022 को पूर्णतः निरस्त (Set aside) किये जाते है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार मण्डावर) को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे विवादित भूमि (खसरा संख्या 29/1 व 29/2 तथा 29/3 व 35) के संबंध में अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेंट्स दोनों पक्षों को सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर प्रदान करें। साथ ही, माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में लंबित अपील, सक्षम न्यायालय की पूर्व डिक्री एवं पंजीकृत विक्रय पत्रों के विधिक प्रभावों का सम्यक परीक्षण करते हुए, गुण–दोष के आधार पर पुनः विधि सम्मत व तर्कसंगत (**Speaking**) आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। जब तक तहसीलदार मण्डावर द्वारा नवीन आदेश पारित नहीं किया जाता, तब तक विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में पूर्ववत यथास्थिति (**Status Quo**) बहाल रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 27 मार्च, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:43:37 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा